

न्यायालय अतिरिक्त जिला दण्डनायक, गंगापुर सिटी  
पीठासीन अधिकारी—श्री रवि वर्मा

प्रकरण संख्या 07 / 18

तारीख रजू 04 / 07 / 2018

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, सवाईमाधोपुर।

—सायल(प्रार्थी)

बनाम

श्री रफीक उर्फ टोला पुत्र नूरी जाति मुसलमान तेली उम्र 30 साल निवासी मदीना मस्जिद  
के पास गंगापुर सिटी पुलिस थाना, गंगापुर सिटी

—गेर सायल(अप्रार्थी)


अभियोग—पत्र अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975

निर्णय

दिनांक—15.04.2024

पुलिस अधीक्षक, सवाईमाधोपुर द्वारा यह अभियोग पत्र राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत गैर सायल (अप्रार्थी) श्री रफीक उर्फ टोला पुत्र नूरी जाति मुसलमान तेली उम्र 30 साल निवासी मदीना मस्जिद के पास गंगापुर सिटी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। अभियोग पत्र के अनुसार गैरसायल (अप्रार्थी) के विरुद्ध पुलिस थाना गंगापुर सिटी में निम्न अभियोग पंजीवद्ध होना बताया है।

क.स.	एफआईआर नं०	दिनांक	धारा	चार्जशीट नम्बर	दिनांक	निर्णय का विवरण
1	769 / 15	30.10.15	13 RPGO	333	7.11.15	सजा दिनांक 1.12.15 100 रू० जुर्माना
2	7 / 16	04.01.16	13 RPGO	5	11.01.16	सजा दिनांक 12.01.16 100 रू० जुर्माना
3	788	31.10.16	13 RPGO	361	18.11.16	सजा दिनांक 22.11.16 100 रू० जुर्माना
4	288	07.05.17	13 RPGO	125		सजा दिनांक 25.05.17 100 रू० जुर्माना
5	314 / 17		13 RPGO	145	23.05.17	सजा दिनांक 03.06.17 100 रू० जुर्माना
6	750 / 17	3.11.17	13 RPGO	359	7.11.17	सजा दिनांक 17.11.17 100 रू० जुर्माना



अतिरिक्त जिला कलेक्टर एड  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
गंगापुर सिटी

उक्त पंजीवद्ध आपराधिक प्रकरणों में बाद जॉच चार्जशीट किता कर संबंधित न्यायालय में द्यूत आध्यादेश 1949 की धारा 13 के तहत गैरसायल को 6 वार राजस्थान सार्वजनिक शख्स उपरोक्त बेखोफ होकर सटटे की खाईवाली मानते हुए दण्डित किया गया हैं लेकिन जुआ खेलने जैसी कुरीति को बढ़ावा मिल रहा है जिससे अन्य लोग भी इस कुरीति में शामिल हो रहे हैं। जिसके परिणाम स्वरूप आमजन का परिवार संकट में पड गया है। गैरसायल श्री रफीक उर्फ टोला पुत्र नूरी जाति मुसलमान तेली उम्र 30 साल निवासी मदीना मस्जिद के पास गंगापुर सिटी समाज के लिए खतरनाक हो चुका है। ऐसी स्थिति में गैरसायल का इलाका थाना में रहना आमजन के लिए परिसंकटमय हो गया है। अतः गैर सायल के खिलाफ राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।

अभियोग पत्र के साथ तालिका में अंकित प्रथम सूचना रिपोर्ट, चार्जशीट प्रतियां प्रस्तुत की है।


अभियोग पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 के नियम-4 में उल्लेखानुसार राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अभिभाषक व असालतन उपस्थित होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

गैरसायल के खिलाफ वर्तमान में पुलिस थाना गंगापुर सिटी में 6 मुकदमें दर्ज हैं। जिसमें समस्त मुकदमें में गैरसायल को 100 रु० के जुर्माना से दण्डित किया हुआ है। इस प्रकार गैरसायल से आमजन का परिवार संकट में पड गया है। गैरसायल सम्पूर्ण समाज के लिए खतरनाक हो चुका है। ऐसी स्थिति में गैरसायल का इलाका थाना में रहना आमजन के लिए परिसंकटमय हो गया है। अतः गैर सायल के खिलाफ राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।

विद्वान वकील गैर सायल ने जवाब में अंकित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि उनवानी प्रकरण सन् 2018 से विचाराधीन है। प्रार्थी गरीब मजदूर पेशा व्यक्ति है तथा अपने परिवार में कमाने वाला एक मात्र व्यक्ति है। प्रार्थी मुलजिम के ऊपर अपनी पत्नी बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी है। प्रार्थी मुलजिम लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर उक्त प्रकरण का निस्तारण करवाना चाहता है। प्रार्थी सन् 2018 से अनवीक्षा भुगत रहा है, साथ ही वकील गैर सायल ने गैरसायल के प्रति नरमी का रुख अपनाते हुए उक्त प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया है।

अभियोजन अधिकारी व विद्वान वकील गैर सायल की बहस सुनने व मनन करने तथा अभियोग पत्र पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात व साक्ष्य का भलीभांति अवलोकन करने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि गैरसायल के खिलाफ पुलिस थाना गंगापुर सिटी में 6 मुकदमें दर्ज हैं। जिसमें समस्त मुकदमों में गैरसायल को 100 रु० के जुर्माना से दण्डित किया हुआ है। राजस्थान लोक द्यूत क्रिडा अध्यादेश की धारा 13 के अन्तर्गत अपराध दो बार दोष सिद्ध होने के तदुपरान्त भी गैरसायल द्वारा द्यूत क्रिडा कृत्य कारित करने की



  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं  
जिला मजिस्ट्रेट  
गंगापुर सिटी

पुनरावृत्ति की पुष्टि होती है तथा इस अभिलेखिय साक्ष्य के आधार पर गैरसायल द्वारा राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 2 (ख) (5) में वर्णित अपराध कारित किया जाना स्पष्टतः साबित होता है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि:-

1. गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 2 (ख) (5) में वर्णित अपराध कारित करने का आदी है एवं गैरसायल को उक्त तालिका में अंकित छ अपराधों में माननीय न्यायालय द्वारा 100 रू० के जुर्माना से दण्डित किया हुआ है। अतः गैर सायल गुण्डा की श्रेणी में आता है।
2. गैरसायल की गतिविधियां एवं प्रवृत्तियां अनैतिक एवं दुष्प्रेरित है। जो थाना क्षेत्र गंगापुर सिटी जिला गंगापुर सिटी के लिए घातक एवं खतरनाक है तथा जनसाधारण के लिए हानिप्रद व दुष्प्रेरणा से प्रेरित करने वाली है।
3. गैरसायल के विरुद्ध यह विश्वास करने के पर्याप्त आधार है कि गैरसायल जिले में राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 2 (ख) (5) में वर्णित आपराधिक कृत्य करने में संलिप्त है।

### लिहाजा

मैं रवि वर्मा, अतिरिक्त जिला दण्डनायक, गंगापुर सिटी गैरसायल रफीक उर्फ टोला पुत्र नूरी जाति मुसलमान तेली उम्र 30 साल निवासी मदीना मस्जिद के पास गंगापुर सिटी को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अर्न्तगत गुण्डा घोषित करता हूँ एवं उसे एक माह की समयावधि के लिए गंगापुर जिले से निष्कासित करने का आदेश देता हूँ। थानाधिकारी पुलिस थाना गंगापुर सिटी को आदेश जारी हो कि वे आदेश प्रसारित की दिनांक से पन्द्रह दिवस पश्चात् गैरसायल को एक माह की समयावधि के लिए जिला मुख्यालय धौलपुर रहने हेतु थानाधिकारी कौलारी को सुपुर्द करें। गैरसायल को सुविधाजनक मार्ग से ले जाया जावे, गैरसायल वहां निवास की जानकारी के लिए थाने में उपस्थिति देगा एवं एक माह की समाप्ति से पूर्व जिला गंगापुर सिटी के किसी भी भाग में प्रवेश नहीं करेगा। निर्णय की एक प्रति पुलिस अधीक्षक, गंगापुर सिटी को भेजे व एक प्रति गैरसायल को दी जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.04.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।



( रवि वर्मा )  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,  
गंगापुर सिटी  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
गंगापुर सिटी